

4482/60

01/09/20

e-284307,

8816 -

1.9.20 (42)

ACEO-II

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

5/19

पत्र संख्या-01/निर्वा0-07-01/2014

6204

पटना, दिनांक- 31.8.2020

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Jt Secy

01.09.20 (6.59pm)

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-
सह-जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

2-9-20
01-09

AS
29/8/20
50 I
25.22

विषय:-

आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के मुआवजे की राशि के निर्धारण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर अधिग्रहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए देय दैनिक मुआवजे की राशि का दर निम्नवत् निर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहनों का प्रकार	दैनिक मुआवजा दर(रुपये में)
1.	2.	3
1.	बस (50 एवं अधिक बैठान क्षमता)	2850.00
2.	बस (40 से 49 सीट)	2600.00
3.	मिनी बस (23 से 39 सीट)	1950.00
4.	मैक्सी/सीटी राईड/विंगर/ टेम्पो /ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट)	1500.00
5.	छोटी कार (सामान्य)	800.00
6.	छोटी कार (वातानुकूलित)	900.00
7.	ट्रेकर/जीप/कमांडर/जिप्सी एवं समकक्षीय वाहन	900.00
8.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (सामान्य)	1000.00
9.	बोलेरो/सुमो/मार्शल (वातानुकूलित)	1200.00
10.	जाइलो/स्कारपियो/क्वालिस/टवेरा (वातानुकूलित)	1600.00
	इनोवा/सफारी (वातानुकूलित)	1700.00

1486
02/09/20

41

11.	विक्रम/एसमैजिक/मिनीडोर/ओमनी/फॉर्स/मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन	750.00
12.	ऑटो रिक्शा	500.00
13.	मोटर साईकिल	250.00
14.	भारी मालवाहक (क) सकलयान भार-12000-16200 कि०ग्रा० (ख) सकलयान भार-16201-25000 कि०ग्रा० (ग) सकलयान भार-25001 कि०ग्रा० एवं उससे अधिक (दस चक्का से अधिक)	1950.00 2470.00 2600.00
15.	मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक सकलयान भार (7501-11999 कि०ग्रा०)	1300.00
16.	हल्का मालवाहक (क) सकलयान भार 3000 कि०ग्रा० तक (ख) सकलयान भार-3001-7500 कि०ग्रा० डिलीवरी भान/समकक्षीय	715.00 1100.00
17.	ट्रैक्टर-ट्रेलर	800.00
18.	ई-रिक्शा / e-Cart (Without fuel)	600.00

(i) मुआवजे की उपर्युक्त दर वाहन के ईंधन के अतिरिक्त देय होगी।

(ii) वाहनों को तिथि विशेष के पूर्वाहन एवं अपराहन में अधिग्रहण होने पर क्रमशः पूरे एवं आधे दिन का मुआवजा निर्धारित दर पर अनुमान्य किया जायगा।

विश्वासभाजन,

Kiau
31/8

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 31.8.2020

ज्ञापांक संख्या- 6204

प्रतिलिपि- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kiau
31/8

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।